बीस रुपये TWENTY RUPEES

बीस रुपये TWENTY RUPEES

(327)

न्यायालय माननीय रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर

प्र0क्र0 / निगरानी -3430/2018/ आगर-मालवा/भू.रा.

1– छीतर पिता बालचंद आयु 55 वर्ष

2– कनीराम पिता बालचंद आयु 50वर्ष

3–रामप्रसाद पिता बालचंद आयु 40वर्ष

सर्व जाति गुर्जर सर्व निवासी ग्राम डोगरगांव सोयत परगना सुसनेर जिला आगर मालवा म0प्र0 संभाग उज्जैन म0प्र0। ....प्रार्थीगण

O.P. Sharma Adv 05-6-18

श्री ओ.पी. शर्मा, अभि. द्वारा आज दि0 5-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14-6-18 नियत।

5-6-18 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1–बजरंगसिंह पिता पर्वतसिंह आयु 40वर्ष ।

2–पर्वतसिंह पिता केसरसिंह आयु 60 वर्ष ।

3–लीलाबाई पति पत्नी मांगीलाल आयु 55 वर्ष सर्व जाति राजपुत निवासीगण ग्राम डोगरगांव सोयत पगरना सुसनेर जिला आगर मालवा म0प्र0। संभाग उज्जैन । ....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी धारा 50 म0प्र.भू0 रा0 संहिता के अन्तर्गत प्र.क्र. / रा.नि.1/18 दिनांक 5.6.2017 श्रीमान तहसीलदार महोदय सोयतकलॉ के विरूद्ध ।

माननीय महोदय,

1– यह कि, निगरानीकर्ता ने भूमि सर्वे नम्बर 2619/1 क्षैत्रफल वाली भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा पर्वतसिंह पिता केसरसिंह से क्रय की पर्वतसिंह ने आवेदकगणो को 2 बीघा 4 बिस्वा

XXIX(a)-BR(H)-11

327

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3430/2018/आगर मालवा/भू0रा0

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ.पी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	